न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 51/2018

विशेष।

उनवान

1. कैलाश पुत्र स्व0 श्री पोखर जाति गुर्जर निवासी बासडी गणेशपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।

वादी

बनाम

छाजू } पि0 बलदेव
पूरण }
कालू } पि0 छाजू
मुकेश }

समस्त जाति गुर्जर निवासी बासडी गणेशपुा तहसील शाहपुरा

प्रतिवादीगण

ग्यारसीलाल }
लीलाराम } पि0 पोखर जाति गुर्जर निवासी बासडी गणेशपुा तहसील शाहपुरा
गिरधारी }
रामनाथ }
गोपीराम } पि0 बिरदीचन्द
मुरली }
हनुमान }

समस्त जाति जाट निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री मदनलाल जाट एडवोकेट वादी
श्री दीपक शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 6.4.2022

रण संक्षेप में इस प्रकार है। वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि आराजी खसरा 24 रकबा 1.98 है0 , 426 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 रकबा 2.85 है0 भूमि वाके ग्राम बासडी रा तहसील स्थित है, जो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तरतीबी अपनी भूमि पर काबिज कास्त है। वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 424 के लगती दीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 423 स्थित है वादीगण अपनी भूमि में तार बाउण्ड्री से मेडबन्दी खी है लेकिन प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गई है वे वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 424 की डोल को काटकर बिना किसी हक अधिकार के अपनी भूमि में मिलाने पर तथा खसरा नम्बर 424 की पर कब्जा करने पर आमादा है। दिनंक 11.6.2018 को वादी अपनी भूमि में कार्य कर रहा था तो वादीगण एक राय होकर आये तथा सींव डोल काटने लगे तथा एलानिया धमकी दी कि दो चार दिवस मौका मिले ही वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 424 की उत्तरी सींव डोल टकर जबरन कब्जा करेगे । अन्त में वादी ने जाहिर किया कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से बन्द किया जावे कि वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 424 रकबा 1.98 है0 से दखल नहीं किया जावे तथा सींव डोल को काटकर अपने खेत में नहीं मिलावें ।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की ाई। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश कर जाहिर किया गया कि वादीगण के लगती प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

दारी भूमि खसरा नम्बर 423 रकबा 1.47 है0 के दक्षिणी हिस्से की करीब 3 बीघा कच्ची जमीन पर ; बल पर वादीगण काबिज होने पर आमादा है। वादीगण के द्वारा तथ्य दायरी दावा झूठे व मन श किये गये है, बल्कि वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को एलानिया धमकी दी गई है कि खसरा 3 पर कब्जा करेगें ।

वकील अभय पक्ष को आज सुना गया । वकील वादी ने अपने बहस में वाद पत्र में अंकित जाहिर करते हुए प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु किया वकील प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा के तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण को पाबन्द करने न किया ।

हमने उभय पक्ष द्वारा पेश दावा , जवाबदावा व वकील अभय पक्ष की बहस पर मनन के गया कि वादी एवं तरतीती प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 424 स्थित है जिसके उत्तर में ग की भूमि खसरा नम्बर 423 स्थित है । उभय पक्ष दोनो के द्वारा ही अपनी अपनी भूमि पर ही ना जाहिर किया गया है तथा एक दूसरे की सींव डोल काटने को लेकर आपस में विवाद है। अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान किया गया है या नहीं यह दौराने दावा विचारण में तथ्य पेश गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि किस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की भूमि की सींवडोल काटने पर ,लेकिन वादीगण के नाम भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उसमें कास्त करने रने आदि का अधिकार है तथा अपनी अपनी भूमि की सीमा जानकारी करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः दावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया के वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 424 रकबा 1.98 है0 वाके ग्राम शिपुरा तहसील शाहपुरा की उत्तरी सींव डौल से कोई छेडछाड नहीं करे, सींवडोल को काटकर में नहीं मिलावे, तथा उक्त भूमि व उसके किसी भी भाग से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को खल नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।
र्णय आज दिनांक 6.4.2022 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर

तर हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

ीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना, आर ए एस**
ाद संख्या :– **51 / 2018**

उनवान

. कैलाश पुत्र स्व0 श्री पोखर जाति गुर्जर निवासी बासडी गणेशपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।
वादी

बनाम

छाजू
पूरण } पि0 बलदेव

कालू
मुकेश } पि0 छाजू

समस्त जाति गुर्जर निवासी बासडी गणेशपुा तहसील शाहपुरा
प्रतिवादीगण

ग्यारसीलाल
लीलाराम
गिरधारी } पि0 पोखर जाति गुर्जर निवासी बासडी गणेशपुा तहसील शाहपुरा

रामनाथ
गोपीराम
0 मुरली
1 हनुमान } पि0 बिरदीचन्द

समस्त जाति जाट निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित **श्री मदनलाल जाट एडवोकेट वादी**
श्री दीपक शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955
निर्णय दिनांक 6.4.2022

अतः दावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 424 रकबा 1.98 है0 वाके ग्राम णेशपुरा तहसील शाहपुरा की उत्तरी सींव डौल से कोई छेडछाड नहीं करे, सींवडोल को काटकर तों में नहीं मिलावे, तथा उक्त भूमि व उसके किसी भी भाग से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को बेदखल नहीं करें ।
आज तारीख 6.4.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

खर्चे

		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
...के लिए स्टाम्प ...पत्र के लिए स्टाम्प ...के लिए स्टाम्प ...रूपये पर प्लीडर की फीस ...के लिए निर्वाह – व्यय ...र की फीस ...का की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	